मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

राकेश कुमार .... बनाम .... मनीराम आदि

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 96/2023

निर्णय दिनांक :– 09.06.2023

वादी की ओर से वकील राजेश बैंनीवाल की व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से वकील अर्जुन बैंनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.06.2023 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा मुन्दडिया बड़ा के खाता सं० 118/112 के खसरा सं० 164/2 की 0.9600 है०, खसरा सं० 313 की 1.5180 है०, खसरा सं० 340 की 1.5430 है० कुल 4.0210 है० बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 मनीराम के नाम दर्ज है जिसमे प्रतिवादी सं० 1 मनीराम अकेले की बजाए वादी राकेश कुमार को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 मनीराम को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 सुमन ने अपना हक हिस्सा वादी राकेश कुमार के पक्ष में त्याग कर दिया है। राजीनामा को डिक्रि का भाग पढ़ा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... भादरा (हनुमानगढ़))

शिविर प्रभारी

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner